न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 49/2024

अपीलार्थी

मोहनलाल पुत्र श्री थानाराम ढोली, जाति–ढोली, निवासी–पोसालिया, तहसील–शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

(1) राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही
(2) पटवारी हल्का, पोसालिया, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
(2) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 20 मई, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील, नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 77/2024 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 23–10–2024 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 14–5–2025 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मेड़तिया ने बहस के दौरान अपील में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, पोसालिया की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पोसालिया के खसरा संख्या 852, 853 व 854 कुल कित्ता 3 रकबा 13–02 बीघा भूमि पर अपीलार्थी के पुत्र किशनलाल द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के संबंध में अपीलाधीन प्रकरण सर्वथा गलत संस्थित किया गया था। उपरोक्त भूमि अपीलार्थी के खातेदारी तथा कब्जे काश्त की है, जिस पर अपीलार्थी बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलार्थी के पुत्र को उक्त प्रकरण में गलत पक्षकार बनाकर उक्त प्रकरण संस्थित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाए जाने हेतु अनुरोध किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को गलत आधार पर खारिज किया है तथा अपीलार्थी के पुत्र किशनलाल के विरूद्ध उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। उपरोक्त भूमि, श्री नैना पुत्र थानाजी ढोली के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की थी, जिस पर नैना पुत्र थानाजी ढोली शांतिपुर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा था। खातेदार नैना पुत्र थानाजी ढोली से उक्त भूमि, प्रार्थी अपीलार्थी ने वर्ष 1972 में जरिए पंजीकृत विकय विलेख के खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था। प्रार्थी अपीलार्थी के खातेदारी तथा कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति श्री भबुतगिरी पुत्र सांखलगिरीजी तथा धरमगिरी पुत्र सांखलगिरीजी, जाति–गोस्वामी, निवासी– पोसालिया द्वारा अवैद्य रूप कब्जा कर लिया था, जिस पर प्रार्थी अपीलार्थी ने तहसीलदार, शिवगंज के न्यायालय में धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

के तहत कार्यवाही की गई थी, जिसके प्रकरण संख्याः 28/2012, अनवान मोहनलाल बनाम भबूतगिरी वगैरा है। उक्त प्रकरण में दिनांक 19—09—2012 को तहसीलदार, शिवगंज ने निर्णय पारित कर स्वर्ण जाति के उपरोक्त व्यक्तियों को प्रार्थी अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि से बेदखल कर दिनांक 16—7—2015 को प्रार्थी अपीलार्थी को उपर वर्णित भूमि का कब्जा दिलाया गया था, तब से प्रार्थी इस भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त श्री भबुतगिरी पुत्र सांखलगिरीजी तथा धरमगिरी पुत्र सांखलगिरीजी गोस्वामी ने अपने प्रभाव से तहसीलदार, शिवगंज से उपरोक्त भूमि के संबंध में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एक वाद, सहायक कलेक्टर, शिवगंज के न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करवाया, जिसके वाद संख्या 06/2016, सरकार बनाम अना वगैरा है। उक्त वाद में अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किए बिना एक तरफा निर्णय दिनांक 07—9—2016 को पारित किया गया, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर अपीलार्थी द्वारा एक अपील, राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अपील संख्याः 01/2017 है। यह कि पटवारी हल्का, पोसालिया तथा भू अभिलेख निरीक्षक, पोसालिया द्वारा मुगालते में रखकर उक्त अपील को खारिज करवा दिया, जिसकी जानकारी होने पर उक्त अपील को पुनः रेस्टोर करने हेतु एक प्रार्थना पत्र राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिस पर माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा उक्त अपील को दर्ज कर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 में पारित आदेश दिनांक 11—11—2024 के द्वारा सहायक कलेक्टर, शिवगंज द्वारा वाद संख्या 6/2016 सरकार बना अन्ना वगे. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07—9—2016 की पालना, प्रभाव व क्रियान्वयन आगामी तारीख पेशी तक स्थगित रखने के आदेश दिये गये है व उभय पक्ष को वरादगस्त भूमि के भू अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करने व प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नही करने हेतु पाबन्द किया गया है। उक्त अपील, माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में लम्बित है तथा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा पारित उक्त स्थगन आदेश प्रभाव व अस्तित्व में है। यह कि उक्त श्री भबुतगिरी पुत्र सांखलगिरीजी तथा धरमगिरी पुत्र सांखलगिरीजी गोस्वामी को उपरोक्त भूमि से बेदखल करवाए जाने के कारण उक्त दोनों व्यक्ति, अपीलार्थी मोहनलाल से रंजिश रखते थे, इसी कारण से उक्त दोनों व्यक्तियों ने उक्त भूमि से बेदखल करवाए जाने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को एक शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर उक्त अपीलाधीन कार्यवाही अपीलार्थी मोहनलाल के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं कर अपीलार्थी के पुत्र के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार बनाए बिना तथा किसी भी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना बेदखली के आदेश प्रदान किए गए है, जो सर्वथा गलत है। उक्त अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को क्षति कारित करने के आशय से विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। अपीलार्थी के पुत्र को भी उक्त प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. पर आदेश उक्त अपीलाधीन निर्णय में ही पारित किया गया है तथा निर्णय पारित होने से पुर्व ही दिनांक 16—10—2024 को अपीलार्थी की फसल को कब्जे राज लेने के आदेश प्रदान किए गए है, जो गलत है। दिनांक 23.10.2024 को अपीलार्थी के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे, जिस पर कोई सुनवाई नहीं की गई तथा न ही आगामी पेशी दी गई तथा दुसरे दिन जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.10.2024 को ही

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अनुपस्थिती बताकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया है। उक्त प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 77 / 2024 में पारित निर्णय दिनांक 23—10—2024 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पुनः विधि अनुरुप निर्णय पारित करने हेतु आदेशित किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, पोसालिया द्वारा संवत 2081 में किशन पुत्र मोहनजी, जाति— डोली, निवासी— पोसालिया के विरुद्ध ग्राम पोसालिया के खसरा संख्या 852 रकबा 0—6313 हेक्टेयर किस्म ब— I, खसरा संख्या 853 रकबा 0—6475 हेक्टेयर किस्म ब— I व खसरा संख्या 854 रकबा 0—8417 हेक्टेयर किस्म नाडी सिवाय चक बिलानाम भूमि पर अतिक्रक्रण कर अनाधिकृत रुप से कब्जा करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में प्रकरण दर्ज कर उक्त अतिक्रमी किशन पुत्र मोहन जी ढोली को उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर विधिवत कार्यवाही करते हुए व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच उक्त भूमि पर किशन पुत्र मोहन जी ढोली, निवासी— पोसालिया का उक्त भूमि पर अतिक्रमण करना पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय / आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि पटवारी हल्का, पोसालिया द्वारा संवत 2081 में श्री किशन पुत्र मोहन जी, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया के विरुद्ध ग्राम पोसालिया के खसरा संख्या 852 रकबा 0—6313 हेक्टेयर किस्म ब— I, खसरा संख्या 853 रकबा 0—6475 हेक्टेयर किस्म ब I व खसरा संख्या 854 रकबा 0—8417 हेक्टेयर किस्म नाडी सिवाय चक भूमि पर अनाधिकृत रुप से कब्जा कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में उक्त अतिक्रमी श्री किशन पुत्र मोहन जी, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी किशन पुत्र मोहन जी, जाति— ढोली, निवासी—पोसालिया को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अतिक्रमी व उसके अधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में अपीलाधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र श्री थानाराम, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया द्वारा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पटवारी हल्का, पोसालिया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र श्री थानाराम, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया को सुनवाई का अवसर देते हुए पटवारी हल्का, पोसालिया के जवाब में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र श्री थानाराम, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज में पटवारी हल्का, पोसालिया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * राजस्थान
सत्यमेव जयते

अपीलार्थी मोहनलाल बुजुर्ग/वृद्ध व्यक्ति है, जो खेती कार्य नही करता है व उनका पुत्र किशन पुत्र मोहन ढोली ने ही ग्राम पोसालिया के खसरा संख्या 852, 853 व 854 रकबा 13—02 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की है।

इस अपील प्रकरण में, अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 11—11—2024 की छाया प्रति प्रस्तुत की है वह आगामी तारीख पेशी 09—12—2024 तक ही है, उसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा उक्त स्थगन आदेश को बढाया गया अथवा नही, के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अपीलार्थी मोहनलाल पुत्र श्री थानाराम, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया व अतिक्रमी किशन पुत्र मोहन जी, जाति— ढोली, निवासी— पोसालिया को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच, अपीलाधीन निर्णय/आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय * सिरोही * सत्यमेव जयते